जल संसाधन मंत्रलाय में
प्रतिनियुक्ति/अल्पावधि संविदा के आधार पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में
अध्यक्ष के एक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं ।

<u>बोर्ड की रूपरेखा</u>

ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) के अंतर्गत की गई थी । ब्रह्मपुत्र बोर्ड को अन्य कार्यों के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों और त्रिपुरा नदी के लिए बाढ़ नियंत्रण, तट कटाव, ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में जल निकास के सुधार और जल विद्युत तथा नौवहन सुविधाओं के विकास के संबंध में मास्टर योजनाएं तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया है । बोर्ड को क्षेत्र में बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण, जल-विद्युत और जल निकास स्कीमों के निर्माण संबंधी कार्य भी सौंपे गए हैं । यह बोर्ड जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है ।

2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में **अध्यक्ष** का एक पद पी0बी0-4 (रूपये 37400-67000 + ग्रेड वेतन 12,000) के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति/अल्पावधि संविदा आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है ।

3. **<u>कार्य के दायित्व</u>**

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रमुख इसके अध्यक्ष होते हैं । वह बोर्ड के प्रभारी होते हैं और इसके कुशल और सुचारू कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं । वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिनियम और नियमों में दिए गए अनुसार शक्तियों का प्रयोग करते हैं और दायित्वों का निर्वहन करते हैं तथा समय-समय पर बोर्ड द्वारा प्रत्यायाजित शक्तियों का निर्वहन भी करते हैं ।

1. **<u>पात्रता मानदण्ड</u>**

(i) केन्द्र सरकार के ऐसे सेवारत/सेवा निवृत्त अधिकारी जो कि मूल संवर्ग/ विभाग में सदृश पद पर कार्यरत हों अथवा कार्य कर चुके हों और केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में मुख्य अभियंता के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा कर चुके हों ; अथवा

(ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी संगठनों/इंजीनियरी विश्वविद्यायलयों/अनुसंधान और विकास संगठनों में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद समतुल्य पद अथवा मुख्य अभियंता अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा कर चुके अधिकारी इसके पात्र होंगे ।

(iii) तथापि, सुयोग्य उम्मीदवारों के संबंध में तीन वर्षों की नियमित सेवा की उपरोक्त शर्त में एक वर्ष की छूट दी जा सकती है ।

(iv) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी अथवा उसके समतुल्य डिग्री तथा जल संसाधन विकास परियोजनाओं के अन्वेषण, आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, प्रचालन एवं रख-रखाव के क्षेत्र में अनुभव । मास्टर योजनाएं, बाढ़ प्रबंधन संबंधी व्यापक योजनाएं, नदी प्रशिक्षण कार्य और सामान्य प्रशासन के अनुभव को अतिरिक्त अर्हता के रूप में माना जाएगा ।

5. **आयु**

(i) **सेवारत अधिकारियों के लिए:** सेवारत जिन अधिकारियों की सेवा के तीन वर्ष शेष रह गए हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा । ऐसे सेवारत अधिकारी जिनकी अधिवर्षिता के तीन वर्ष शेष रह गए हैं, उन्हें प्रारंभिक रूप से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा तथा तत्पश्चात मूल संवर्ग से सेवा निवृत्ति के बाद इनके अल्पावधि संविदा पर विचार किया जाएगा ।

(ii) **सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी :** सेवा निवृत्त अधिकारी को अल्पावधि संविदा पर नियुक्त किया जा सकता है तथा वे 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं । तथापि, इस परिपत्र के जारी होने की तारीख तक आवेदन पत्र देने की अधिकतम आयु 59 वर्ष ही होगी ।

6. उम्मीदवार की अर्हक सेवा/अनुभव और आयु निर्धारित करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2010 होगी ।

7. चयनित अधिकारी को नाम वापस लेने अथवा कार्यभार अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के भीतर कार्यमुक्त कर दें । सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त की जा सकी है ।

8. चयनित अधिकारी अपने ग्रेड में वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता के आहरण अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं.2/29/91-स्था.(वेतन II), दिनांक 5.1.94 (समय-समय पर यथा संशोधित) की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में वेतन नियत करा सकते हैं । अल्पावधि संविदा के लिए चयनित अधिकारियों को पारिश्रमिक न्यूनतम वेतनमान पर नियत किया जाएगा तथा समेकित राशि के रूप में उन्हें अनुमत्य भत्ता भी दिया जाएगा । पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए, सकल पेंशन की राशि की कटौती कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.7.1986 (समय-समय पर यथा संशोधित) की शर्तों में उल्लेखित पारिश्रमिक से की जाएगी ।

9. उसी संगठन/विभाग अथवा कुछ अन्य केन्द्र सरकार के विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य वाह्य संवर्ग में यदि कोई हो, प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में संविदा 3 से 5 वर्षों के लिए होगी जोकि मामले पर निर्भर करेगी और किसी भी मामले में 62 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी ।

10. आवेदक के पूर्ण विवरण सहित आवेदन निम्नलिखित प्रपत्र-I (6 प्रतियां) और प्रपत्र - II में श्री राम स्वरूप, उप सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, कमरा नं. 623, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001 को इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए । सभी आवेदनों को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा । सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत आवेदकों को **उचित माध्यम द्वारा** आवेदन करना चाहिए । यथा वांछित पूर्ण विवरण के बिना प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे ।

11. आवेदन प्रपत्र को इस मंत्रालय के वेबसाइट http://wrmin.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

प्रपत्र- I

1. अधिकारी का नाम :
   सेवा पुस्तिका में दिए अनुसार स्पष्ट अक्षरों में

2. जन्म तिथि (ईसवी सन् में) :

3. सरकारी सेवा में प्रारंभिक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :

4. केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/
   सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्तशासी/
   सांविधिक संगठन आदि के तहत अधिवर्षिता की तिथि

5. वर्तमान पता :
   (i) कार्यालय :
   (ii) निवास :
   (iii) टेलीफोन नं. (कार्यालय) :
   (iv) फैक्स नं. (कार्यालय) :
   (v) टेलीफोन नं. (निवास) :
   (vi) फैक्स नं. (निवास) :

6. शैक्षिक अर्हताएँ :

7. व्यावसायिक अर्हताएँ :

8. क्या इस पद के लिए अपेक्षित :

   व्यावसायिक अर्हताएँ पूरी करते हैं

   यदि किसी अर्हता को नियमावली में निर्धारित किसी :
   अर्हता के समतुल्य समझा गया हो तो उसके
   प्राधिकारी का उल्लेख करें

   अपेक्षित अर्हताएं | धारित अर्हताएं
   आवश्यक :
   वांछित :

9. वर्तमान धारित पद और उसके :
   धारण की तिथि तथा स्थान
   (i) वर्तमान वेतन :
   (ii) वर्तमान वेतनमान :
   (i) नियुक्ति का स्वरूप, अर्थात् क्या तदर्थ
   नियमित अथवा प्रतिनियुक्ति पर हैं
   (ii) यदि प्रतिनियुक्ति पर हैं तो मूल विभाग का नाम
   और धारित पद पर वेतन और उसका वेतनमान
   तथा पद धारित करने की तिथि
   1. पूरे सेवाकाल का विवरण-विभिन्न धारित पद
   (i) पद एवं नियोक्ता का नाम :
   (ii) ....से...............तक :
   (iii) किए गए कार्य की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण :

11. चयन के विषय क्षेत्र में अनुभव :

12. कोई अन्य उल्लेख किए जाने योग्य बात :

13. मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

14. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आवेदित पद पर मेरे चयन हो जाने की स्थिति में मैं उक्त पद का प्रस्ताव किए जाने पर कार्यग्रहण करने से मना नहीं करूंगा और यथाअपेक्षित एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण कर लूँगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:
दिनांक:

प्रपत्र - II

(आदाता/प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. पदनाम...................................के द्वारा आवेदन में दिया गया विवरण और प्रपत्र -I सरकारी अभिलेखों के अनुसार सही है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उनके विरूद्व कोई “सतर्कता/अनुशासनिक मामला” न तो लंबित है अथवा न ही चलाए जाने का विचार है।

3. चयन कर लिए जाने की स्थिति में, नियुक्ति पत्र के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर उन्हें इस कार्यालय/संगठन/विभाग, आदि में उनके कार्यों के लिए कार्य मुक्त कर दिया जायेगा ताकि वे ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें।

4. पिछले पांच वर्षों के उनके गोपनीय रिपोर्ट डोजियर (मूल में) (अथवा कम से कम अवर सचिव के रैंक के अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो प्रतियां) “मोहर बंद लिफाफे” में संलग्न हैं। इस गोपनीय रिपोर्ट डोजियर के साथ “कोई दंड नहीं विवरण प्रमाणप्रत्र” और “निष्ठा प्रमाणपत्र” भी संलग्न है।

हस्ताक्षर:

(आदाता/प्रायोजक प्राधिकरण के अधिकारी का नाम, पदनाम सहित)
मोहर सहित कार्यालय/संगठन/मंत्रालय/विभाग आदि का नाम

दूरभाष सं.
फैक्स सं.